

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5552/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ABHIMANNYU MANOJ SHARMA

Father Name-Mr. MANOJ SHARMA

Address-98, T WARD SAINIK COLONY, BAIRAGARH, BHOPAL (M.P.)-462030

Mobile No.- 8602319138

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5553/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ABHISHEK PATEL

Father Name-Mr. RAMESH PATEL

Address-FATEHPUR BEGUMGANJ, DIST- RAISEN (M.P.)-464881

Mobile No.- 8503090708

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5554/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ADISHWAR RAO

Father Name-Mr. RAMESH RAO

Address-12-B, ASHIANA DUPLEX, OPP- NAVYUG COLLEGE SOUTH CIVIL LINE, JABALPUR

(M.P.)-482001

Mobile No.- 9516690191

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5555/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AJAY MARMAT

Father Name-Mr. RAJESH MARMAT

Address-321, SHRI KRISHNA BAG BEHIND VELOCITY, INDORE (M.P.)-452010

Mobile No.- 9009681284

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5556/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AKASH KATARA

Father Name-Mr. JAVAR SINGH KATARA

Address-VILL- BARJHAR, THE- CHANDRA SEKHAR AZAD NAGAR, BARJHAR, ALIRAJPUR

(M.P.)-457887

Mobile No.- 9981994361

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5557/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AKRITI AGRAWAL

Father Name-Mr. PRAMOD KUMAR AGRAWAL

Address-BHOLA RAM KRISHAN GOPAL GANDHI GANJ, SHAHJAHANPUR, STATE-UTTAR

PRADESH-242001

Mobile No.- 9981863432

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5558/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AMAN KUASHWAHA

Father Name-Mr. BHARAT NATH VERMA

Address-102/1, WARD NO.1, KRISHNA NAGAR COLONY, STANA ROAD, AMARPATAN, DIST-SATNA (M.P.)-485775

Mobile No.- 9424654524

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5559/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AMAN PATEL

Father Name-Mr. SUSHIL PATEL

Address-H.NO.307, NAI BASTI NO.1, GOHALPUR AMKHERA ROAD, JABALPUR (M.P.)-482002

Mobile No.- 8435761222

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5560/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AMOL SANKLE

Father Name-Mr. ASHOK KUMAR SANKLE

Address-100/2 PARVATI BHAVAN AVANTIKA BUNGLOWS LALGHATI BHOPAL (M.P.)-462032

Mobile No.- 7049804327

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5561/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ANAND KUMAR MISHRA

Father Name-Mr. RAJ KUMAR MISHRA

Address-H.NO.17, UNION CARBIDE COLONY KAROND, BHOPAL (M.P.)-462038

Mobile No.- 9713513645

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5562/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ANGURBALA DHAKER

Father Name-Mr. RATAN LAL DHAKER

Address-SHREEPURA, POST- JAT TEHSIL- SINGOLI, DIST- NEEMUCH (M.P.)-458226

Mobile No.- 8696818618

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5563/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ANKIT KUMAR VERMA

Father Name-Mr. MEVA LAL VERMA

Address-TEONTHAR POST BHUNGAON VILL. ETAV, REWA (M.P.)-486223

Mobile No.- 7693845013

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5564/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ANKITA TANUWAY

Father Name-Mr. RAMGOPAL TANTUWAY

Address-NEW SHANTI NAGAR COLONY, MAGANJ WARD NO.4, DAMOH (M.P.)-470661

Mobile No.- 9755280216

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5565/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. APARNA RAWAT

Father Name-Mr. HARICHARAN RAWAT

Address-443 BMSEC SURYADEV NAGAR, NEAR HAWA BANGILOW, INDORE (M.P.)-452009

Mobile No.- 8827343560

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5566/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ARTI YADAV

Father Name-Mr. SANTOSH KUMAR YADAV

Address-TYPE-1/24, CMPDI, JAYANT, SINGRAULI (M.P.)-486890

Mobile No.- 9630100664

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5567/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ASHU KUMARI

Father Name-Mr. JAIBIR SINGH

Address-H.NO.-772, WARD NO. 08, NEAR ANATH ASHRAM, DIST- BHIWANI-STATE- HARYANA-  
127021

Mobile No.- 8901402732

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5568/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ASTHA DWIVEDI

Father Name-Mr. JITENDRA KUMAR DWIVEDI

Address-C/136, HTPS COLONY, ANNAPURNA VIHAR, KORBA WEST, DARRI KAORBA,

CHHATISGARH-495450

Mobile No.- 9425344573

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5569/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. DADI BOTE NONANG

Father Name-Mr. KANTI NONANG

Address-VILL-PASIGHAT, DIST- EAST SIANG, STATE- ARUNACHAL PRADESH-791102

Mobile No.- 8731937056

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5570/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. DARSHITA WAMBORKAR

Father Name-Mr. VIKAS WAMBORKAR

Address-36, BRIJVIHAR COLONY, VAISHALI NAGAR, INDORE (M.P.)-452009

Mobile No.- 8989424309

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5571/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. DEEPA PARTE

Father Name-Mr. VISHNU PRASAD PARTE

Address-SAI HEAVEN CITY COLONY, SR. MIG-65, HOSHANGABAD (M.P.)461990

Mobile No.- 8962389299

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5572/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. DEVRAJ SINGH PATTA

Father Name-Mr. UDAY SINGH PATTA

Address-H.NO. 103, ASHARAM PATEL TRACTOR AGENCY, DINDORI ROAD, MANDLA (M.P.)-

Mobile No.- 9424976382

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5573/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. DIKSHITA JAIN

Father Name-Mr. RAJESH JAIN

Address-109, SHUBHASH NAGAR, DIST- UJJAIN (M.P.)-456001

Mobile No.- 9424893289

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5574/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. DIVYANSHU CHOUDHARY

Father Name-Mr. DILIP CHOUDHARY

Address-HOUSE NO. 5, WARD NO. 5, KANJAIKANJAI, BALAGHAT (M.P.)-481441

Mobile No.- 9425838703

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5575/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. GARVITA TAKHTANI

Father Name-Mr. DINESH TAKHTANI

Address-1886, RUSSAL CHOWK, SILVAR OAK COMPUND, DIST- JABALPUR (M.P.)-482001

Mobile No.- 9993231234

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5576/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. GAURAV DUBEY

Father Name-Mr. SUDHIR DUBEY

Address-H.NO.6, YADAV COLONY, VIVEKANAND WARD, JABALPUR (M.P.)-482001

Mobile No.- 9425383959

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5577/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. GIRISH KUMAR TANWANI

Father Name-Mr. HIRANAND TANWANI

Address-68-C, BEHIND SONI BHAWAN, OPP- WATER TANK, LEELA JAMALPURA,

BHOPAL(M.P.)-462001

Mobile No.- 8871537484

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5578/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. GOPAL YADAV

Father Name-Mr. SUMER YADAV

Address-160, THIGALI (KESHOPUR) THE- PIPRIA, DIST- ASHOK NAGAR(M.P.)-473440

Mobile No.- 8719015901

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5579/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. HARSHITA SACHDEV

Father Name-Mr. RAJESH SACHDEV

Address-ALPHA BUNGLOW NO. 1, IDGAH HILLS, BHOPAL (M.P.)-462001

Mobile No.- 9630630051

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5580/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. HIMANI TIWARI

Father Name-Mr. SUDESH TIWARI

Address-LI 67, MAHASHAKTI NAGAR, UJJAIN (M.P.)-456010

Mobile No.- 9926531214

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5581/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. HUNNY SHYAMNANI

Father Name-Mr. ANAND SHYAMNANI

Address-H.NO.135 5-CIVIL LINE, DIST- SAGAR (M.P.)-470001

Mobile No.- 9827025088

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5582/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. JAYAS JAGAN

Father Name-Mr. KEDAR NATH SHAKYA

Address-VELL- CHIRAYATINI, THE- JOURA, DIST- MORENA (M.P.)-476221

Mobile No.- 8982544749

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5583/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. JELIVI H CHISHI

Father Name-Mr. HUQHETO CHISHI

Address-CITY/MILL-NAGHUQOMI, OLD TOWN COLONY, DIST- ZUNHEBOTO, STATE-  
NAGALAND-798620

Mobile No.- 7085472731

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5584/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. JITIN PILLAI

Father Name-Mr. VISWANATHAN PILLAI


Address-HD 7, BIRLAGRAM, NAGDA, UJJAIN (M.P.)-456331

Mobile No.- 9826641662

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5585/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. JYOTSANA PAVLAYA  
Father Name-Mr. HARI SINGH  
Address-VILLAGE-BILKEESGANJ SEHORE (M.P.)-466111  
Mobile No.- 9174247657

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5586/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PALAK BANSAL

Father Name-Mr. J K BANSAL

Address-002, OEL, SHALIMAR ESTATE, 430-A, BIRBAL SAHNI MARG, NEW HYDRABAD,  
LUCKNOW (UTTAR PRADESH)-226007

Mobile No.- 9839011181

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5587/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PRAKHAR CHICHANI

Father Name-Mr. NANDKISHORE CHICHANI

Address-24, MAHAJAN MOHALLA, JANKUPURA, DIST-MANDSOUR (M.P.)-458002

Mobile No.- 7024410723

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5588/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AKRITI AHIRWAR

Father Name-Mr. ARJUN SINGH AHIRWAR

Address-SUPER HIG 31, DEENDAYAL NAGAR MAKRONIYA, SAGAR (M.P.)-470004

Mobile No.- 8800124810

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5589/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AMAN SOLANKI

Father Name-Mr. JAGAN SOLANKI

Address-H.NO. 34, MANAVTA NAGAR, BHICHOLI HAPSI, INDORE (M.P.)-452016

Mobile No.- 8989217171

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5590/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AMAN TIWARI

Father Name-Mr. VINOD TRIPATHI

Address-37/535 BEHIND MAYUR TALKIES, KESHAV COLONY, MORENA (M.P.)-476001

Mobile No.- 8290662957

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5591/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. AMIR ZAKARIYA

Father Name-Mr. MOHAMMAD ZAKARIYA AZMI

Address-H.NO.1846/B-12 SHAIL VIHAR RAMPUR CHHAPAR, JABALPUR (M.P.)-482008

Mobile No.- 9424626950

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5592/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. ANISHK AGRAWAL  
Father Name-Mr. SURESH AGRAWAL  
Address-H.NO..P/637 SHIV NAGAR, JABALPUR (M.P.)-482002  
Mobile No.- 9981997584

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5593/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. GOLU KUMAR MALVIYA

Father Name-Mr. DEVKARAN MALVIYA

Address-WARD NO. 7, HARIJAN BASTI RANAYAL, SHAJAPUR (M.P.)-465337

Mobile No.- 9407301589

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5594/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. GYANENDRA PATEL

Father Name-Mr. DEVENDRA PATEL

Address-BLOCK-HANUMANA LASA, VILL & POST-LASA, DIST- REWA (M.P.)-486335

Mobile No.- 9617411522

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5595/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. HARSH PANWAR

Father Name-Mr. SARAS PANWAR

Address-WARD NO.10, TIJORI GALI, RINGNOD DIST-DHAR (M.P.)-454116

Mobile No.- 7389995111

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5596/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. KAJAL PANDEY

Father Name-Mr. SURYA KANT PANDEY

Address-H.NO.454, NAGAR NIGAM COLONY, NARIYAL KHEDA, DIST- BHOPAL (M.P.)-462038

Mobile No.- 8602225007

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5597/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. KARAN SINGH BUNDELI

Father Name-Mr. JAGDISH PRASAD BUNDELI

Address-92, DAULATPURA KOKTA ANAND NAGAR BHOPAL, MADHYA PRADESH-462022

Mobile No.- 8982133448

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5598/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. KSHITIJ YADAV

Father Name-Mr. BALKRISHNA YADAV

Address-H.NO.37, MEWATI MOHALLA, NEAR ALKA TALKIES, DIST- INDORE (M.P.)-452007

Mobile No.- 9827250679

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5599/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. LEENA BUDHRAO NAGLE

Father Name-Mr. BUDHRAO NAGLE

Address-PLOT NO 209, SANTOSHI WARD NEAR SHAH PETROL PUMP, PANDHURNA,

CHHINDWARA (M.P.)-480334

Mobile No.- 9644377835

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5600/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MAHAK BALANI

Father Name-Mr. ANIL BALANI

Address-35 PRAKRATI ENCLAVE BICHOLI ROAD NEAR BANGALI SQUARE, INDORE (M.P.)-

452016

Mobile No.- 9303234748

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक 5601/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MAHAK PORWAL

Father Name-Mr. KAMLESH PORWAL

Address-SUBHASH MARG, RANAPUR, JHABUA (M.P.)-457993

Mobile No.- 9425435099

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5602/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MAHENDER SINGH

Father Name-Mr. RAM SINGH

Address-BUHANA VPO- PATHROLI, JHUNJHUNUN, STATE- RAJASTHAN-333515

Mobile No.- 9416282190

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5603/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MD FAHEEM A ANSARI

Father Name-Mr. N ANSARI

Address-2801/19, NEW ADARSH COLONY, ADHARTAL, DIST- JABALPUR (M.P.)-482004

Mobile No.- 8962648998

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5604/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MOHAMMED HUSSAIN LOKHANDWALA

Father Name-Mr. SHABBIR LOKHANDWALA

Address-28 SAIFEE MOHALLA BOHRA BAKHAL, DIST- KHARGONE (M.P.)-451001

Mobile No.- 9754717452

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5605/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MOHIT SONI

Father Name-Mr. SANJAY SONI

Address-GAMA PRESS KE SAMNE, JHANSI MOHALLA, DIST- BHIND (M.P.)-477001

Mobile No.- 9575727534

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5606/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MUKESH CHHABRA

Father Name-Mr. DAULAT RAM CHHABRA

Address-7, WARD -SANTKAVAR RAM WARD, KISHAN CHAND GALI, DIST- SAGAR (M.P.)-

470002

Mobile No.- 9893544920

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5607/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. MUKESH SAKET

Father Name-Mr. RAJBAHOR SAKET

Address-WARD NO. 02, SAURA ROAD, GAUTAM NAGAR, CHHATARPUR (M.P.) 471001

Mobile No.- 8003932632

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5608/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NAFISA TURABI

Father Name-Mr. MURTAZA TURABI

Address-60, BAHADERPURA BAKHAL KHARA KUAN, DIST- UJJAIN (M.P.)-456006

Mobile No.- 9425915781

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5609/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NAMAN JAIN

Father Name-Mr. VIMAL KUMAR JAIN

Address-51, JANTA COLONY, VEER SAWARKAR NAGAR, DHAR (M.P.)-454001

Mobile No.- 9981883737

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5610/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NAMRATA CHOUHAN

Father Name-Mr. RAMLAL CHOUHAN

Address-RAJPUR ROAD, JULWANIYA, THE- RAJPUR, BARWANI (M.P.)-451449

Mobile No.- 9993136513

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5611/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NAVEEN KUMAR

Father Name-Mr. SURESH KUMAR

Address-VILL-DOHKI PO KITLANA, DIST-BHIWANI, STATE- HARIYANA-127309

Mobile No.- 8290652820

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5612/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NAVEEN SINGH RAGHUWANSHI

Father Name-Mr. MAHENDRA SINGH RAGHUWANSHI

Address-H.NO. 114, KARAIYARAI, DIST- ASHOK NAGAR (M.P.)-473331

Mobile No.- 9630194247

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5613/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NIKITA MINOCHA

Father Name-Mr. SANDEEP MINOCHA

Address-502-a, VARDA VIHAR 333-334, BADI GWALTOLI, NEAR LALARAM NAGAR, INDORE

(M.P.)-452001

Mobile No.- 9302120916

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5614/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NILESH PATIDAR

Father Name-Mr. SHYAM SUNDAR PATIDAR

Address-RAJASVA MOHALLA SUWAKHEDA, DIST- NEEMUCH (M.P.)-458330

Mobile No.- 9424036215

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5615/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NISHTHA AYACHI

Father Name-Mr. INDRA MOHAN AYACHI

Address-715, SHANTI NAGAR DAMOHNAKA, JABALPUR (M.P.)-482002

Mobile No.- 9424707150

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5616/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. NUPUR SHARMA

Father Name-Mr. MAHENDRA SHARMA


Address-PARMANAND COLONY, SHIVAJI NAGAR WARD, SAGAR (M.P.)-470002

Mobile No.- 9977970217

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5617/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PARUL VERMA

Father Name-Mr. R K VERMA

Address-G-S/12, WINDSOR HILL SIROL ROAD, ADUPURAJAGIR, GWALIOR (M.P.)-474011

Mobile No.- 9752448926

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक 5618/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PIYUSH JAIN

Father Name-Mr. ARUN KUMAR JAIN

Address-41-SECTOR A, SHANTINIKETAN, NEAR GOVINDPURA PETROL PUMP, BHOPAL

(M.P.)-462023

Mobile No.- 9713768131

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5619/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PIYUSH PATIDAR

Father Name-Mr. TULSIRAM PATIDAR

Address-VILL- SUSARI, WARD NO. 10, THE- KUKSHI , DIST- DHAR (M.P.)-454331

Mobile No.- 8233491142

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5620/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021


प्रति,

Mr./Ms. PRABHJOT KAUR CHHABRA  
Father Name-Mr. HARBHAJAN SINGH CHHABRA  
Address-195, VISHNUPURI, N.X. INDORE (M.P.)-452001  
Mobile No.- 9584900013

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5621/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PRAKALP GUPTA

Father Name-Mr. SHAILENDRA GUPTA

Address-E-2912 SUDAMA NAGAR DIST- INDORE-452009

Mobile No.- 9425072550

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5622/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PRATEEK BHARGAVA  
Father Name-Mr. RANJAN KUMAR SHARMA  
Address-JL 886 KOTRA SULTANABAD DIST- BHOPAL (M.P.)-462003  
Mobile No.- 8989004702

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5623/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PRAVEEN KUMAR SONI

Father Name-Mr. NARESH PRASAD SONI

Address-QTR NO. 1321, A-BLOCK, URJANAGAR BIJURI, ANUPPUR (M.P.)-484440

Mobile No.- 8349709010

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5624/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PRAVEEN SINGH BAGHEL

Father Name-Mr. PUSHPENDRA SINGH BAGHEL

Address-H.NO.92, WARD NO. 6, PANDAV NAGAR, SHAHDOL (M.P.)-484001

Mobile No.- 8964856554

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5625/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PREETI SINGH

Father Name-Mr. ANIL SINGH

Address-CHHATRAPATI NAGAR NEAR, GOLAMBAR H.NO. 8/2, POLICE LINE REWA (M.P.)-

486001

Mobile No.- 9827264514

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5626/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. PRIYA MAROPE  
Father Name-Mr. AMARLAL MOROPE  
Address-DURGA NAGAR, HIDLI BETUL (M.P.)-460110  
Mobile No.- 9479779707

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5627/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RADHIKA AGRAWAL  
Father Name-Mr. RAVI AGRAWAL  
Address-26 RAJSAW COLONY, UJJAIN (M.P.)-456010  
Mobile No.- 9406618253

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5628/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RAHILA RUKZANA PP

Father Name-Mr. MOHAMMED IRSHAD A C

Address-PUTHIYA PANDARAM HOUSE, AMINI ISLAND, CITY- AMINI ISLAND, LAKSHADWEEP-

682552

Mobile No.- 9497345524

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5629/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RAKESH BHATI

Father Name-Mr. JAGDISH BHATI

Address-KHANKRI SULTAN, ETAWA, UJJAIN (M.P.)-456668

Mobile No.- 8359977539

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5630/छात्र/2021

दिनांक – 04 /06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RASHMI MISHRA

Father Name-Mr. GOPAL MISHRA

Address-2210/01, NEAR ANUPAM SCHOOL, NEW RAM NAGAR, ADHARTAL, JABALPUR (M.P.)-

482002

Mobile No.- 9406752038

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5631/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RAVI KUMAR MEENA

Father Name-Mr. JASWANT SINGH MEENA

Address-VILL- BALABARKHEDA, DISTT.- VIDISHA (M.P.)-464226

Mobile No.- 7999197077

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5632/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RINSHU SUJORIYA

Father Name-Mr. BHAGWAN DASSUJORIYA

Address-1234/19 A, NARMADA NAGAR, GWARIGHAT ROAD, DIST- JABALPUR -482001

Mobile No.- 7415424298

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5633/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RISHIKA SINGH

Father Name-Mr. NAYARAN SINGH

Address-FLAT NO. 405, BP COMPLEX, MAIN ROAD BALDEOBAG, JABALPUR (M.P.)-482002

Mobile No.- 7614019501

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5634/छात्र/2021

दिनांक – 04 /06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RUPAL AGRAWAL

Father Name-Mr. PAVAN AGRAWAL

Address-H.NO.166, SHANTI NIKETAN, BEHIND BOMBAY HOSPITAL, VIJAY NAGAR, DIST-  
INDORE-(M.P.)-452010

Mobile No.- 9425347081

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5635/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SAKSHI JAIN

Father Name-Mr. ANIL JAIN

Address-H-1, RED CROSS CAMPUS SHIVANI NAGAR, BHOPAL (M.P.)-462016

Mobile No.- 8602836587

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5636/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SAKSHI PATEL

Father Name-Mr. RAMSIYA PATEL

Address-H.NO.493, VILL- DEORA, DIST- REWA (M.P.) 486343

Mobile No.- 9200880573

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5637/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SAMARTH ARORA

Father Name-Mr. BALMOHAN ARORA

Address-51, LALA LAJPAT RAI COLONY, ASHOKA GARDEN, RAISEN ROAD, BHOPAL (M.P.)-

462023

Mobile No.- 9826902820

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5638/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SANDHYA LODHI

Father Name-Mr. RAMLAL LODHI

Address-H.NO.157, SUAKHEDI VIDISHA DIST. (M.P.)-464001

Mobile No.- 9691873723

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5639/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SANGAM TEMBHRE

Father Name-Mr. SURENDRA TEMBHRE

Address-WARD NO. 13, BEHIND POLICE LINE, BUDHI, BALAGHAT (M.P.)-481001

Mobile No.- 9425403340

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5640/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SANJAY MANDLOI  
Father Name-Mr. BADRILAL MANDLOI  
Address-412, KHILJI COLONY, WARD NO.15, BHIKANGAON KHARGONE (M.P.)-451331  
Mobile No.- 9098852777

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5641/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SAPNA GUPTA

Father Name-Mr. GANESH PRASAD GUPTA

Address-NEAR GAYATRI MANDIR BARAPATHAR, DIST- SEONI (M.P.)-480661

Mobile No.- 9425888967

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5642/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SARTHAK KHANDALKAR

Father Name-Mr. VINOD KHANDALKAR

Address-H.NO.889, SANJEEVANI NAGAR, GARHA, JABALPUR (M.P.)-482003

Mobile No.- 9407021670

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5643/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SARVESH SHYAMKUMAR ARYA  
Father Name-Mr. SHYAMKUMAR A ARYA  
Address-A-12, MUJHMAHUDA, AKOTA VADODARA, GUJARAT-390020  
Mobile No.- 9979500789

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5644/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SATYAM SINGH PAWAR

Father Name-Mr. SURENDRA SINGH PAWAR

Address-VILL-BANSA TARKHEDA, POST- BANSA TARKHEDA, DIST- DAMOH (M.P.)-470672

Mobile No.- 9575639919

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5645/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SAURABH SINGH

Father Name-Mr. ARVIND SINGH

Address-SARASWATI VIHAR, STREET NO.1, CHANAKYAPURI CAMP ROAD, DIST- SATNA

(M.P.)-485005

Mobile No.- 9907335530

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5646/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SAURAV YADAV

Father Name-Mr. LAKSHMI YADAV

Address-H.NO.688, HATHITAL GUPTESHWAR WARD, JABALPUR (M.P.)-482001

Mobile No.- 9425188779

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक 5647/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHALEEN SHRIVASTAVA

Father Name-Mr. DEVENDRA SHRIVASTAVA

Address-H.NO.3255, NEAR GOURISHANKAR MANDIR KATRA, ADHARTAL, JABALPUR (M.P.)-

482004

Mobile No.- 7415461240

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5648/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHEETAL BANDORE

Father Name-Mr. KAMAL SINGH BANDORE

Address-18/3 BAKHATGARH ROAD, TEHSIL-SONDWA CHHAKATALA ALIRAJPUR (M.P.)-457888

Mobile No.- 8982317870

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5649/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHEROFINA W NATHANIAL

Father Name-Mr. WILLIAM F NATHANIAL

Address-PLOT NO. 59-C, FLAT NO S-2, ISHAN INDRA BHAVAN, INDRAPUR C-SECTOR, BHEL,  
BHOPAL (M.P.)-462022

Mobile No.- 9425090959

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5650/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHILPI AGRAWAL

Father Name-Mr. SANTOSH KUMAR AGRAWAL

Address-GOYAL ELECTRIC STORES, MAHAL ROAD, CHATTARPUR DIST. (M.P.)-471001

Mobile No.- 9425144339

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5651/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHIVANI BHARTIYA

Father Name-Mr. SHYAM BHARTIYA

Address-62, BRUDHAM SHIVAJI PARK NEAR ALAKHMEHARDHAN UJJAIN (M.P.)-456010

Mobile No.- 9907209211

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5652/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHRAWAN KUMAR PRASAD

Father Name-Mr. SHIV SHANKAR PRASAD

Address-H.NO.82, WESTERN SIDE OF BARAPATHER WEST-B, SHILLONG -793002

(MEGHALAYA)

Mobile No.- 9436100631

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5653/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHRUTI PANDEY

Father Name-Mr. SHUBH NARAYAN PANDEY

Address-RB2 91 C NEAR SHIV MANDIR RAILWAY COLONY, SATNA (M.P.)-485001

Mobile No.- 9407064369

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5654/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHRUTI RAO

Father Name-Mr. SANJAY KUMAR RAO

Address-16/117, RAMA NIWAS BURHAR ROAD, DIST-SHAHDOL (M.P.)-484001

Mobile No.- 9782734681

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5655/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHUBHAM

Father Name-Mr. P K SINGH

Address-319, CLUB ROAD DIST- VIDISHA (M.P.)-464001

Mobile No.- 9826430517

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



कार्यालय अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक 5656/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHUBHAM JAIN

Father Name-Mr. AJAY KUMAR JAIN

Address-P-24, VARDHAMAN GREEN PARK, ASHOKA GARDEN, NEAR 80-FEET ROAD, BHOPAL

(M.P.)-462023

Mobile No.- 8223053303

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5657/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHUBHAM RAI

Father Name-Mr. MAHESH KUMAR RAI

Address-WARD NO. 09, PIPARIYA ROAD, INFRONT OF KHARE CLINIC, BANKHEDI, DIST-  
HOSHANGABAD (M.P.)-461990

Mobile No.- 9977133256

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5658/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHUBHANSHU SHARMA

Father Name-Mr. SUNIL SHARMA

Address-EL 108, SUBHASH NAGAR HOUSING BOARD COLONY, MAHARAJPUR, DIST-  
JABALPUR (M.P.)-482004

Mobile No.- 9424508788

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5659/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SHWETA NETI

Father Name-Mr. MANSINGH NETI

Address-DURGA COLONY, ICHHWAR, SEHORE (M.P.) -466115

Mobile No.- 9406955288

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5660/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SONIYA KHUSHALANI

Father Name-Mr. SUBHASH KHUSHALANI

Address-163/C, SANTRAM SINDHI COLONY, DIST- UJJAIN (M.P.)-456010

Mobile No.- 9039921996

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5661/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SRASHTI GUPTA

Father Name-Mr. SUDHANSHU GUPTA

Address-6/335 SHUBHASH GANJ DABRA, DIST- GWALIOR (M.P.)-475110

Mobile No.- 9425119873

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5662/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SUDEEP KHARE

Father Name-Mr. RAJESH KHARE

Address-NEELGIRI APPT-249 ANOOP NAGAR, LIG SQUARE, INDORE (M.P.)-452008

Mobile No.- 9993634681

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5663/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SUNDARAM DWIVEDI  
Father Name-Mr. MAHENDRA DWIVEDI  
Address-BTI CAMPUS, REWA ROAD, SATNA (M.P.)-485001  
Mobile No.- 9669721640

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5664/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SURAMYA JAIN

Father Name-Mr. RAKESH KUMAR JAIN

Address-53 9B, SAKET NAGAR, DIST- BHOPAL (M.P.)-462024

Mobile No.- 9424469101

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5665/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. SURBHI SOLANKI

Father Name-Mr. AMAR SINGH SOLANKI

Address-H.NO.200, NEAR BUS STAND, PATHARI, THE- KURWAI, DIST- VIDHISHA (M.P.)-464337

Mobile No.- 8462966598

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5666/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. URVASHI GADPALE

Father Name-Mr. MAHESH LAL GADPALE

Address-WARD NO.11, SHIV NAGAR SHRIVASTAV GALI BUDHI BALAGHAT (M.P.)-481001

Mobile No.- 9589798235

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5667/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. URVASHI MOTWANI

Father Name-Mr. PURSHOTTAM MOTWANI

Address-129, SWAMI DAYANAND NAGAR, MANIK BAG ROAD, DIST- INDORE(M.P.)-452014

Mobile No.- 9669963720

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5668/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. VAIBHAV MANDLOI

Father Name-Mr. DEVISINGH MANDLOI

Address-27, RAJNAGAR BISTAN ROAD, KHARGONE (M.P.)-451001

Mobile No.- 9926052477

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5669/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. VAISHNAVI CHOUKIKER

Father Name-Mr. PRAMOD CHOUKIKER

Address-D-28/II MPPGCL SIVERIYA TOWNSHIP BIR, KHANDWA KHANDWA (M.P.)-450110

Mobile No.- 9425623788

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5670/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. VANSHIKA ASATI

Father Name-Mr. HARISH KUMAR ASATI

Address-H.NO.1999, VIJAY NAGAR, DIST- JABALPUR (M.P.)-482002

Mobile No.- 8827937811

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5671/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. VARNIKA AGRAWAL

Father Name-Mr. RAJESH AGRAWAL

Address-12, SEMRI-STREET, VILL- HARCHAND, DIST- HOSHANGABAD (M.P.)-461668

Mobile No.- 9407535561

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5672/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. VIJAY KANT PATHAK

Father Name-Mr. RAMESH PRASAD PATHAK

Address-GALI NO.1, CHANDMARI RAOD, DHAWARI DIST- SATNA (M.P.)-485001

Mobile No.- 9424935064

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5673/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. VISHESH BUDHWANI

Father Name-Mr. VIJAY BUDHWANI

Address-C-12, SHASTRI NAGAR, BHOPAL (M.P.)-462003

Mobile No.- 9425029950

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5674/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. YOGITA WASKEL

Father Name-Mr. NARENDRA SINGH WASKEL

Address-SATI VIHAR DHAMNOD, DIST- DHAR (M.P.)-454552

Mobile No.- 9770246424

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5675/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. CHANDA AHIRWAR

Father Name-Mr. LAXMI NARAYAN

Address-WARD NO 37 FRONT OF HANUMAN MANDIR GOPALPURA CANTT GUNA MP

Mobile No.- 8720860125

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5676/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021


प्रति,

Mr./Ms. GAURAV CHOUHAN  
Father Name-Mr. RAJA RAM CHOUHAN  
Address-9 SAWANT PURAM BARWANI MP  
Mobile No.- 8085411611

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5677/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RAHUL KIRADE  
Father Name-Mr. SUKHLAL KIRADE  
Address-N 15 KUNJRI BARWANI MP  
Mobile No.- 9111308223

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटर्न छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटर्नशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक 5678/छात्र/2021

दिनांक – 04/06/2021

प्रति,

Mr./Ms. RAVI KUMAR SOLANKI  
Father Name-Mr. MANGAL SINGH SOLANKI  
Address-60 UMARBANKHURD TEH. MANAWAR DHAR MP  
Mobile No.- 9685763584

विषय- अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद से पंजियन निरंस्तीकरण संबंध में सूचना।

विषयान्तर्गत इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. छात्र/छात्राओं के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से की जा रही हडताल में आप इंटरन छात्र भी शामिल होकर आप अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। कोविड महामारी के कारण मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 189 दिनांक 31/03/2021 के तहत प्रदेश में एस्मा (Essential Services Maintenance Act- ESMA) लागू किया हुआ है, आपकी सेवा अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिससे आप एस्मा के तहत अपनी सेवा देने से इंकार नहीं कर सकते, आपका यह हडताल/अनाधिकृत अनुपस्थिति एस्मा नियम का उल्लंघन है। साथ ही आपका यह कृत्य भारतीय मेडिकल काउंसिल के Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulation 2012 के प्रावधान 1.2 का उल्लंघन है। साथ ही मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम के विपरीत है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों। यदि आप अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अधीन अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसमें मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल को आपका पंजियन निरंस्त करने के पत्र लिखा जायेगा। आपके हडताल/अनुपस्थिति अवधि को इंटरनशिप अवधि में बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

  
Dean  
N.S.C.B. Medical College  
Jabalpur (M.P.)

अधिष्ठाता  
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस  
मेडिकल कॉलेज जबलपुर